न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 332/2022

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. तुलसीदास मापारा पुत्र नरसिंहदास 2. राम मापारा पुत्र नरसिंहदास (जाति ब्राह्मण, निवासी सिंधी कॉलोनी, सरदारपुरा, जोधपुर)		राज0 सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 26/2022 निर्णय दिनांक 02.05.2022

उपस्थिति –
1. श्री राकेश गौड, वकील अपीलांट्स
2. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से

निर्णय

दिनांक 05.08.2024

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट्स–प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, राज0 भू–राजस्व अधि0, 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसील जोधपुर स्थित ग्राम सुरपुरा के खसरा नं0 147/1, 148 रकबा क्रमशः 24.13 बीघा एवं 78.17 बीघा कुल रकबा 103.10 बीघा किस्म बारानी प्रथम व द्वितिय की भूमि पूर्व में जगन्नाथ पुत्र हरिकिशन की खातेदारी में दर्ज थी। खातेदार जगन्नाथ ने उक्त खातेदारी भूमि अपने भांजे क्रमशः रामचन्द्र (सही नाम राम मापारा), तुलच्छीराम (सही नाम तुलसीदास मापारा), नारायणदास (सही नाम हेमन्त कुमार) व तरूण कुमार पिसरान नरसिंगदास के नाम कर दी गई। जिसका बेचानामा तहसीलदार जोधपुर के आदेश दिनांक 23.06.1972 को सर्वसम्मति से सरपंच ग्रा0पं0 सुरपुरा द्वारा दिनांक 5.7.72 को स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात उपरोक्त भूमि पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 2 व 3 का बतौर खातेदार संयुक्त रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसमें अपीलांट–प्रार्थी सं0 1 का नाम तुलसीदास मापारा के स्थान पर तुलच्छी राम तथा राम मापारा के स्थान पर रामचन्द्र दर्ज कर दिया गया, जिसे दुरूस्त करावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

दिया गया कि "प्रार्थी की ओर से प्रशासन गांवों के संग अभियान –2021 राजस्व केम्प सुरपुरा में एक प्रार्थना पत्र इसी शुद्धि बाबत प्रस्तुत किया गया था। जिसको शिविर प्रभारी द्वारा दिनांक 06.10.2021 को निरस्त कर दिया गया था। ऐसी अवस्था में वर्तमान में अब नया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर शुद्धि चाही गई है, जो किया जाना न्यायोचित नही है।" इससे व्यथित होकर अपीलांट्स–प्रार्थी ने राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। दौरान बहस अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि तहसील जोधपुर स्थित ग्राम सुरपुरा के खसरा नं0 147/1, 148 की भूमि पूर्व में जगन्नाथ पुत्र हरिकिशन की खातेदारी में दर्ज थी। खातेदार जगन्नाथ ने उक्त खातेदारी भूमि अपने भांजे क्रमशः रामचन्द्र (सही नाम राम मापारा), तुलच्छीराम (सही नाम तुलसीदास मापारा), नारायणदास (सही नाम हेमन्त कुमार) व तरूण कुमार पिसरान नरसिंगदास के नाम कर दी गई। जिसका बेचानामा तहसीलदार जोधपुर के आदेश दिनांक 23.06.1972 को सर्वसम्मति से सरपंच ग्रा0पं0 सुरपुरा द्वारा दिनांक 5.7.72 को स्वीकृत किया गया। जिसमें अपीलांट–प्रार्थी सं0 1 का नाम तुलसीदास मापारा के स्थान पर तुलच्छीराम तथा राम मापारा के स्थान पर रामचन्द्र दर्ज कर दिया गया था, तब से तुलच्छीराम व रामचन्द्र के नाम राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टि चली आ रही है। अपीलांट्स–प्रार्थीगण को उनके माता–पिता प्यार से तुलच्छीराम व रामचंद्र बुलाये जाने के कारण उनका यह नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गया। जबकि इनका वास्तविक नाम तुलसीदास मापारा व राम मापारा पुत्र नरसिंगदास है। अपीलांट द्वारा उक्त नाम शुद्धि हेतु प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के दौरान केम्प सुरपुरा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे शिविर प्रभारी द्वारा खारिज कर दिया गया। इसके उपरांत अपीलांट–प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अंतर्गत धारा 136 आरएलआर एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके साथ संपूर्ण दस्तावेज लगाये गये। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के भाई हेमंत व तरूण को भी पक्षकार बनाया गया था, जिन्होंने न्यायालय में उपस्थित हो जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलांट्स के नाम शुद्धि में कोई आपत्ति नही होना व्यक्त करते हुए दोनों ही नाम एक ही व्यक्तियों के होना बताया गया। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर, नाम संशोधन का आदेश फरमाने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर यह पाया गया कि आलौच्य प्रकरण में अपीलांट्स–प्रार्थी द्वारा अंतर्गत धारा 136 आरएलआर एक्ट के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये थे तथा अप्रार्थी सं0 2 व 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब में अनापत्ति व्यक्त की गई है। इस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 केम्प सुरपुरा में शिविर प्रभारी द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 6.10.21 को खारिज करने संबंधी आदेश के आलोक में उक्त प्रार्थना पत्र खारिज करने की बजाय, विधिक प्रकियानुसार किसी प्रकार के संशय की स्थिति में अप्रार्थी सं0 1–तहसीलदार जोधपुर से जांच एवं रिपोर्ट प्राप्त कर, न्यायहित में विधिसम्मत निर्णय पारित करना चाहिए था।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना सं0 26/2022 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.05.2022 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में परीक्षण एवं दस्तावेजी साक्ष्यों तथा तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 05 अगस्त, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

05.08.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर